क्र0सं0	जनसामान्य हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण
1.	2.
1.	<u>दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना</u>। जनसामन्य हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों के स्तर पर दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं, जिसके लिए प्रमाणीकरण अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी को बनाया गया है। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति निर्गत किये गये दिव्यांगता की श्रेणी व दिव्यांगता के प्रतिशत पर असंतुष्ट है अथवा इसका आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो आवेदक 02 माह के अन्दर अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं, जिस हेतु उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के अधिसूचना संख्या–1133/XXVIII–1/2019–01(19)2018 दिनांक 16 अगस्त, 2019 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों की कठिनाईयों के दृष्टिगत उनकी सुविधा के मध्यनजर जनपद स्तर पर गठित दिव्यांगता बोर्ड को ही एससमेन्ट बोर्ड (Assesement Board) के रूप में उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के अधिसूचना संख्या–1374/XXVIII–1/2019–01(19)2018 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के द्वारा अधिकृत किया गया है।

Scanned by CamScanner